

FORM NO. III

फर्द अहकाम

गण नशागांव

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम मुहवा

सरकार बनाम राजेन्द्र फुल रतन  
जमलाल, जगराम फुल भांगीलाल मीना

क्रिम नुक्दमा सारा 91 LR ACT. नं. 220/17 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/1/17	पटवारी हक्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिउमी को राज. भु. राजरव अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/1/18 को पेश हो। तहसीलदार महवा, दौसा	
10/1/18	आज पत्रावली पेश हुई आवाज लगावई गई अतिकमी उपस्थित थाई अतिकमी दवा जवाब देव समथ चाक्षा है न्यायाधीश में समथ दिशा आकर पत्रावली पेश की दिनांक 16/1/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	L. thumb जमाल (वेस) 11 L. thumb.
16/1/18	पत्रावली पेश हुई, आवाज लगावई गई। अतिकमी की ओर से उमठा पुत्र उपस्थित आया है। अतिकमी के पुत्र द्वारा जवाब देव समथ चाक्षा है न्यायाधीश में पत्रावली दिनांक 18-1-18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	रखी लात जमलाल

16/1/18

पत्तावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आये हैं आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर बाहर बाहर पर पधारे हुए हैं पत्तावली दिनांक 25/01/18 को पेश हो।

अधिकारी  
25/1/18

25/01/18

पत्तावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया है अज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर बाहर पर पधारे हुए हैं पत्तावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01/02/2018 को पेश हो।

पृथ्वी  
(पुत्र अमराम)

राजेंद्र

राजेंद्र  
11/2/18

01/2/18

पत्तावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी राजेंद्र व जयशाम जी और से पृथ्वीलाल (पुत्र) उपस्थित आया है पत्तावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश हो।

पृथ्वी लाल  
(पुत्र)

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दीसा)

12/2/18

पत्तावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमण राजेंद्र उपस्थित आया है अतिक्रमी द्वारा कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया पत्तरी दल्ल के बयान लिये गये। तथा पुरिचातवली अतिक्रमण की जद वेदवली पेश की गई जो संलग्न पतावली है पत्तावली वास्तव दिनांक 19/2/18 को पेश हो।

राजेंद्र

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दीसा)

19/2/18

पत्तावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से राजेंद्र उपस्थित आया पत्तावली दिनांक 26/2/18 को पेश हो।

राजेंद्र

राज १

26/2/18

पत्रावली पैसा हुई। आवाज लगाव  
गई। अतिक्रमी राजेंद्र उपस्थित आया है।  
अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण  
किया जाना स्वीकार किया है। अतः गांधी नगर गांव  
में अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमी को अतिक्रमण  
से बचत करा किया जाता है। विस्तृत विवरण पृष्ठ  
से लिया जाकर संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार  
तहसील-मडवा (बीसा)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

निसल नम्बर 226/17 तारीख रजू 22/11/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~हेण्डा~~ बनाम  
 श्री ~~रजिन्द्र जयलाल~~ पुत्र ~~जगत मंगीलाल~~ जाति ~~भोजा~~ निवासी ~~जयगांव~~ तहसील  
~~महवा~~

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/02/18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~महवा~~ हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ~~रजिन्द्र जयलाल~~ ने ग्राम ~~जयगांव~~ को भूमि ख.न. 447 रकबा 0.03 किस्म ~~जयपुरास्ता~~ फसल रवि / खसी संवत् 2074 में ~~जयपुरास्ता~~ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किस्म ~~जयपुरास्ता~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। नुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 447 रकबा 0.03 किस्म ~~जयपुरास्ता~~ वाके ग्राम ~~जयगांव~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का ~~1.32 का 50 गुणा 66 रु~~ शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ~~जयपुरास्ता~~ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर मा.वा. की पेश की 114 पर  
 वर्ष 2017-18  
 की राशि ~~66 रु~~  
 की जमा ~~66 रु~~  
 दिनांक 8/3/18  
 लेखाकार  
 तहसील-महवा

~~तहसीलदार~~  
 तहसीलदार महवा  
 तहसील-महवा (दौसा)